



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218782
CG-DL-E-19032020-218782

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1001]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941

No.1001]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1108(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में NH-218 (नई NH-50) के कि.मी. 195.000 से कि.मी. 276.390 (बीजापुर-गुलबर्ग -होमनाबाद सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, टोल प्लाजा निर्माण, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 21.07.2019" को "डेक्कन हेराल्ड " और "विजयवानी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के विजयपुरा जिले में NH218 (नई NH-50)के कि.मी. 195.000 से कि.मी. 276.390 (बीजापुर-गुलबर्ग -होमनाबाद सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: विजयपुरा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सिंदगी				
	गांव का नाम: कन्नोली				
1	129	निजी	शुष्क	0.0318	१) लालसाब पिता मकतुमसब इनामदार २) लालसाब पिता ह्यदेरसब इनामदार ३) अकबरसाब पिता दस्तागिरसाब इनामदार ४) चाँदबी पति रसूलसाब इनामदार ५) रैमनसब पिता रसूलसाब इनामदार ६) शमशादवेगूं पति मकतुमसब इनामदार ७) फ़याज़ पिता मकतुमसब इनामदार ८) सानफर पिता मकतुमसब इनामदार ९) अमीनवेगूं पति हुसेबाशा बम्मनजोगी १०) शमशादबी पति बन्दनवाज़ हुदेडागट्टी. ()
2	18	निजी	इरीगेशन (तरी)	0.037	दशरतसिंग पिता भावनीसिंग राजपूत (१८/२)
3	18	निजी	इरीगेशन (तरी)	1.0089	विनायक पिता मल्लप्पा परतनली (१८/४)
4	19	निजी	शुष्क	1.278	अशोक पिता सिदरायाप्पा पारतनली (१९/१)
5	19	निजी	शुष्क	0.4704	सिद्धप्पा पिता आदिवप्पा पारतनली (१९/१)

6	19	निजी	शुष्क	0.0648	भागप्पा सिद्धप्पा नारायणपुर (१९/३)
7	19	निजी	शुष्क	0.0562	बाबू रेवू लमनी @नाइक (१९/४)
8	20	निजी	शुष्क	0.0937	१) मल्लेशप्पा पिता मलकाप्पा कलहल्ली २) शिवप्पा पिता मलकाप्पा कलहल्ली ३) शंकरप्पा पिता सोमप्पा कल्लूर ()
गांव का नाम: मोरातगी					
9	327/1	निजी	शुष्क	0.0578	परमेश्वर साधु महाराज श्री. ब्रम्ह गुडीमठ मुधोळ, शाखामठ मोराटगी (३२७/१)
10	327/2A	निजी	शुष्क	0.0098	अमोगप्पा पिता शरणप्पा यांकाची (३२७/२अ)
			कुल	3.1084	

[फा.सं NHAI/LA/Dharwad/Karnataka/3D1]

राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1108(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.NO.2108(E) Dated 25.06.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, Construction Toll Plaza etc.), maintenance, management and operation of NH-218(New NH-50) on the stretch of land from Km 195.000 to Km 276.390 (Bijapur -Gulbarga-Homnabad Section) in the district of Vijayapura in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Deccan Herald” and “Vijayavani” both dated 21.07.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Stretch of land from Km. 195.000 to 276.390 (Bijapur -Gulbarga-Homnabad Section) of the NH-218(New NH-50) in the district of Vijayapura in the State of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: Vijayapura			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sindagi				
	Viilage: Kannolli				
1	129	Private	dry	0.0318	1) Lalsab S/o Maktumsab Inamdar 2) Lalesab S/o Hydersab Inamdar 3) Akbarsab S/o Dastagirsab Inamdar 4) Chandbi w/o Rasulsab Inamdar 5) Raimansab S/o Rasulsab Inamdar 6) Shamsbadbegum W/o Maktumsab Inamdar 7) Fayaz S/o Maktumsab Inamdar 8) Sanfar S/o Maktumsab Inamdar 9) Ameenabegum W/o Husenbasha Bammanajogi 10) Shamsbadbi W/o Bandenawaz Hudedagaddi.
2	18	Private	Irrigation(Tari)	0.037	Dasharatsing S/o Bhavanising Rajaput 18/2
3	18	Private	Irrigation(Tari)	1.0089	Vinayak S/o Mallappa Paratanalli 18/4
4	19	Private	dry	1.278	Ashok S/o Sidarayappa Paratanalli 19/1
5	19	Private	dry	0.4704	Siddappa S/o Adivappa Paratanalli 19/2
6	19	Private	dry	0.0648	Bhagappa Siddappa Narayanapur 19/3
7	19	Private	dry	0.0562	Babu Revu Lamani @Naik 19/4
8	20	Private	dry	0.0937	1) Malleshappa S/o Malakappa Kalahalli 2) shivappa S/o Malakappa Kalahalli 3) Shankrappa S/o Somappa Kallur
	Viilage: Moratagi				
9	327/1	Private	dry	0.0578	Parameshwar Sadu Maharaj Shri. Bramha Guddimath Mudhol , Shakhamath Moratagi 327/1
10	327/2A	Private	dry	0.0098	Amogeppa s/o Sharanappa yankanchi 327/2A
			TOTAL	3.1084	

[F. No. NHAI/LA/Dharwad/Karnataka/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.